आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना उद्देश्य:

उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करना है, जिसमें पीटीजी सिहत एक पर्यावरणीय माहौल में जनजातीय छात्रों के बीच साक्षरता दर को बढ़ाना और उन्हें देश की अन्य आबादी के बराबर लाना है। यह योजना 1990-91 से चालू है और इसे संशोधित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008-09। मुख्य विशेषताएं:

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जनजातीय उप-योजना राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों में सक्रिय है।

इस योजना में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और विरष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें टीएसपी क्षेत्रों में लड़िकयों के लिए आश्रम स्कूल (यानी स्कूल भवन, छात्रावास, रसोई और स्टाफ क्वार्टर) की स्थापना के लिए 100% धनराशि और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में टीएसपी क्षेत्रों में लड़कों के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए पात्र हैं। क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित)।

अन्य लड़कों के आश्रम स्कूलों के लिए फंडिंग पैटर्न 50:50 के आधार पर है, जबिक लड़िकयों और लड़कों के आश्रम दोनों स्कूलों के निर्माण के लिए केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

50:50 के आधार पर वित्तीय सहायता व्यय के अन्य गैर-आवर्ती मदों के लिए दी जाती है अर्थात् उपकरण, फर्नीचर और फर्निशिंग की खरीद, हॉस्टल के कैदियों के उपयोग के लिए एक छोटी लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों के कुछ सेटों की खरीद आदि। लाभ:

ST लड़के और लड़कियाँ सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर सकते हैं।